20/6/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम चला स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या सं0 351 रकबा 1.94 हैक्टे. की खातेदारी में प्रार्थी बाबूलाल पुत्र मुरलीधर के नाम के सामने जाति नाई गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी सही जाति ब्रहामण है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार की जाति गलत दर्ज कर दी गयी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं तथा गवाह शंकरलाल जाट पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट, महावीर प्रसार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण जाति ब्रहामण, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी चला के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र, कार्यालय उपखण्ड दण्ड नायक नीमकाथाना द्वारा दिनांक 18.03.85 को जारी प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1975 का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी की जाति ब्रहामण है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी की सही जाति ब्रहामण की पुष्टि स्वयं तथा गवाह शंकरलाल जाट पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट, महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामनारायण जाति ब्राहमण, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी चला के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र, कार्यालय उपखण्ड दण्ड नायक नीमकाथाना द्वारा दिनांक 18.03.85 को जारी प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1975 का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार [illegible]ना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:55:00 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner